



184

राजस्थान मण्डल न्यायालय ~~अथवा कोर्ट~~ महोदय, ~~दोहा~~ ~~पेठे~~ ~~उज्जैन~~
 प्रकरण क्रं० 12018 निगरानी - R-1468-1114

श्री एच. एच. राव
 28/3/2014
 28.3.14

रमेशचंद्र आत्मज नंदकिशोर उम्र लगभग 67 साल
 जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम इंगोरिया तहसील
 बदनगर जिला उज्जैन -- प्राथी निगरानीकर्ता
 विरुद्ध
 रणकूलाल आत्मज मेहलाल जाति कलाल
 निवासी ग्राम इंगोरिया तहसील बदनगर जिला
 उज्जैन ----- अनावेदक प्रतिप्राथी

414
 28/3/2014
 P.S. Pathore Adv. Ujjain
 उज्जैन
 28/3/14

निगरानी अन्तर्गत धारा 40 मू० रा० सं०
 अधिस्थ माननीय न्यायालय नायब तहसीलदार
 महोदय टप्पा इंगोरिया के न्यायालय के प्रकरण
 क्रमांक 3 ए 123123-18 मे पारित अन्तरिम आदेश
 दिनांक 2-1-18 से अस्तुष्ट एवं दुःखी होकर

माननीय महोदय,
 प्राथी निगरानीकर्ता की ओर से निम्नलिखित
 निगरानी प्रस्तुत है :-

-:: प्रकरण का संक्षिप्त विवरण ::-

यह कि प्रतिप्राथी द्वारा अधिस्थ माननीय न्यायालय
 के समक्ष बिना प्रावधान के एक असत्य एवं अपूर्ण आवेदन-फर
 दिनांक 17-12-13 को प्रस्तुत किया जिसमे यह उल्लेख किया कि
 प्रतिप्राथी की जमीन सर्वे नंबर 565 एवं रकबा 0 दंड है जिसका
 रास्ता रमेश पिता नंदकिशोर जाति ब्राम्हण निवासी इंगोरिया
 के खेत के रास्ते से होकर जाता है और प्रतिप्राथी उस रास्ते से

(Handwritten signature)


न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1468-एक/14

श्रेयस-पैरवी रणदीपलाल

जिला उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
23-3-2018	अनावेदक की ओर से सुश्री किरण जुनेजा, अभिभाषक उपस्थित । आवेदक लम्बे समय से अनुपस्थित। तीन बार आवाज लगवाई गई, फिर भी आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । अतः आवेदक की अनुपस्थिति में प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है ।	 अध्यक्ष

